माननीय एम.एस. लिब्रहान और सुरिंदर सरूप जे.जे. के समक्ष

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पटियाला, याचिकाकर्ता.

बनाम

श्रीमती. गांव निवासी गुरदास सिंह की पत्नी पारो आदमपुर और अन्य, प्रतिवादी।

आर.एफ.ए. 1112/94

4 जुलाई 1994.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988—एस. 166—ड्राइविंग लाइसेंस—वाहन अयोग्य चालक द्वारा संचालित-यह साबित करने का दायित्व कंपनी पर है कि वाहन वैध ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वाले व्यक्ति द्वारा चलाया गया था- वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर स्वचालित रूप से यह अनुमान नहीं लगाया जाएगा कि वाहन अयोग्य चालक द्वारा चलाया गया था।

माना गया कि शर्तों के उल्लंघन को साबित करना बीमा कंपनी का काम है, इसे साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वाहन विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। इसे साबित करने की जिम्मेदारी कंपनी पर बनी रहती है, हालांकि सबूत का बोझ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बदल सकता है। सामान्य शब्दों में कोई भी कानून यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत न करने या वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने का कोई सबूत प्रस्तुत न करने पर स्वचालित रूप से यह मान लिया जाएगा कि वाहन अयोग्य चालक द्वारा चलाया जा रहा है।

(पैरा 6)

याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप बेदी।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरिंदर पॉल और अन्य 1990 (1) पी.एल.आर. 318.

खारिज कर

निर्णय

(1) हमारे सामने एकमात्र तर्क यह है कि ट्रक का ड्राइवर केवल मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगा।

बीमा कंपनी ने विशेष रूप से दलील दी कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

वह न तो गवाह बॉक्स में उपस्थित हुए और न ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया या रिकॉर्ड पर पेश किया। दावेदारों ने भी ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने का कोई सबूत पेश नहीं किया। अपीलकर्ता के विद्वान

वकील ने आगे तर्क दिया कि न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों में यह अनुमान लगाकर यह निष्कर्ष नहीं निकालकर गलती की है कि दुर्घटना के समय चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरिंदर पॉल और अन्य (1) पर भरोसा किया।

(2) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने "क्या प्रतिवादी नंबर 1 के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था" विषय पर एक मुद्दे का परीक्षण किया और नारसिनवा वी कामत और अन्य बनाम अल्फ्रेडोएंटोनियो डी मार्टिंस और अन्य (2) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपात पर भरोसा करने के बाद पाया।, चूंकि बीमा कंपनी मुद्दे के समर्थन में कोई सबूत पेश करने में विफल रही, परिणामस्वरूप कंपनी के खिलाफ यह निर्णय लिया गया।

(3) सुरिंदर पॉल के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय की एकल पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली के कथित चालक के पास दाहिना हाथ नहीं था और वह ट्रैक्टर चलाने में सक्षम नहीं था, इसलिए गुरमुख सिंह का इनकार आश्वस्त करने वाला नहीं है।यह भी देखा गया कि ड्राइवर स्वयं गवाह बॉक्स में उपस्थित हुआ और उसने स्वयं को ट्रैक्टर चलाने में असमर्थ माना लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। देखे गए तथ्यों के मद्देनजर, इस सवाल का निर्धारण करते समय कि क्या ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, न्यायालय ने कहा कि चूंकि बीमा कंपनी ने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि ड्राइवर वह वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं था क्योंकि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यह ड्राइवर पर निर्भर था कि वह लाइसेंस प्रस्तुत करे। यह श्री काशीराम यादव और अन्य बनाम ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी (3) पर निर्भर था।

(1) 1990 (1) पी.एल.आर. 318.

(2) 1985 ए.सी.जे. 397.

(3) ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 2002: जे.टी. 1989 (3) एस.सी. 504।

(4) इस तथ्य के अलावा कि निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं है, इस निर्णय द्वारा निर्धारित कानून का प्रश्न श्री काशीराम यादव के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। नरचिनवा बनाम कामत के मामले (सुप्रा) में यह एक तथ्य के रूप में देखा गया था कि ड्राइवर से एक सवाल पूछा गया था कि क्या वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करेगा, लेकिन वह इसे प्रस्तुत करने में विफल रहा। इन परिस्थितियों में यह तर्क दिया गया कि चूंकि वह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा सका, इसलिए उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल का जवाब देते हुए आगे कहा कि क्या ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, कि "यह साबित करने का बोझ कि बीमा के अनुबंध का उल्लंघन हुआ था, पूरी तरह से बीमा कंपनी के कंधों पर डाल दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि जिरह में महज एक सवाल के आधार पर उसे बरी कर दिया गया है। दूसरा अपीलकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं था ताकि बीमा कंपनी बीमा अनुबंध के तहत अपनी देनदारी से बच सके।इसके अलावा आर.टी.ए. जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है, उसके द्वारा जारी और नवीनीकृत किए गए लाइसेंस का रिकॉर्ड रखता है। बीमा कंपनी अपने आरोप को साबित करने के लिए सबूत पेश करवा सकती थी। यदि कोई सबूत नहीं दिया गया तो परीक्षण लागू करने पर कौन असफल होगा, इसका स्पष्ट उत्तर बीमा कंपनी है।

(5) यहां तक कि श्री काशीरेम यादव और अन्य बनाम ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य (4) में भी, इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि पॉलिसी में एक शर्त थी कि वाहन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है या अयोग्य ठहराया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्कैंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कोकिलाबेन चंद्रवदन और अन्य (5) मामले में फैसले के अनुपात पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि केवल तभी जब बीमाधारक ने वाहन को ऐसे व्यक्ति को सौंपा है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। बीमा कंपनी द्वारा यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उल्लंघन बीमाधारक की ओर से है। जब तक बीमाधारक गलती पर न हो और शर्त के उल्लंघन का दोषी न हो, बीमाकर्ता बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के दायित्व से बच नहीं सकता है। यह भी देखा गया कि जब बीमाधारक ने अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ किया है, यहां तक कि उसने लाइसेंस प्राप्त चालक को नियुक्त किया है और वाहन को अपने प्रभारी के रूप में चालक को व्यक्त या निहित आदेश के साथ सौंपा है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि बीमाधारक किसी उल्लंघन का दोषी है।"

(4) जे.टी. 1989 (31 एस.सी. 504=1989 एस.सी. 2004।

(5) 1987 (2) एस.सी.सी. 654.

(6) हमारे विचार में, शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर कि शर्तों के उल्लंघन को साबित करना बीमा कंपनी का काम है, इसे साबित करने का दायित्व बीमा कंपनी पर है। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वाहन विधिवत लाइसेंसधारी चालक द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। इसे साबित करने की जिम्मेदारी कंपनी पर बनी रहती है, हालांकि सबूत का बोझ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बदल सकता है। सामान्य शब्दों में कोई भी कानून यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत न करने या वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने का कोई सबूत प्रस्तुत न करने पर स्वचालित रूप से यह मान लिया जाएगा कि वाहन अयोग्य चालक द्वारा चलाया जा रहा है। हमारा विचार यह है कि वर्तमान मामले में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सबूत का बोझ बीमा कंपनी पर था, जिसके कारण उस बोझ से मुक्ति पाने के लिए कोई सबूत नहीं था। बहस के दौरान भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया जिससे यह पता चले कि बीमा कंपनी ने उस बोझ से मुक्ति के लिए कोई सबूत पेश किया था। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। सम्मान के साथ हम सुरिंदर पॉल के मामले (सुप्रा) में एकल पीठ द्वारा निर्धारित कानून से सहमत नहीं हो सकते हैं और इसे लागू रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है।

(7) ऊपर की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, हमें इस अपील में कोई बल नहीं लगता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:
Prerna Arya
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy,
Chandigarh